

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इतिवित्त	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये।
---------------	----------------------------	---

20/8/20

वकील शर्मा उपर तहसीलदार जयपुर के दफ्तर में मोटा रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। जांचावधि है। शर्मा का में तहसील उमम पलकामर खुती गई। तामल वाले डाकवा दिगंड: 4/9/20 को फका हो।

*JAL*  
सहायक कमिश्नर (एस.डी.ओ.)  
जयपुर, जिला नागौर

11/9/20

वकील शर्मा उपर शर्मा का अधीन धारा 136 R.P.R. Act लीगाट किया जाता है। विान्ता विपिन पूथक ले लिखना जाकर शामिल किया गया। पत्रावली सुनल सुफार होडर काद तहसील दाखिल रफार हो।

*JAL*  
सहायक कमिश्नर (एस.डी.ओ.)  
जयपुर, जिला नागौर

न्यायालय सहायक कलेक्टर, (एस.डी.ओ.) जायल जिला-नागौर

पीठासीन अधिकारी : रवीन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

प्रार्थना संख्या 37/2019

प्रार्थी - हनुमानराम उर्फ हड़मानराम पुत्र रूपाराम  
जाति-मेघवाल निवासी-मुण्डी तहसील जायल जिला-नागौर

बनाम

अप्रार्थी - तहसीलदार जायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956

1. श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी प्रार्थी की ओर से।
2. तहसीलदार जायल उपस्थित।

दिनांक : 04/9/2020

- :: आदेश :: -

प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय हाजा में पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी वास्तविक नाम हनुमानराम पुत्र रूपाराम जाति मेघवाल निवासी मुण्डी है, परन्तु ग्राम मुण्डी तहसील जायल के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी खसरा नं. 274/538, 275/531 खाता संख्या 363 में प्रार्थी का नाम सहवन से हड़मानराम पुत्र रूपाराम दर्ज हो गया है। ग्राम मुण्डी तहसील जायल में इस नाम का एक मात्र प्रार्थी ही है इस नाम से कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। इतने दिनों तक किसी प्रकार की समस्या किसान क्रेडिट कार्ड, सरकारी योजना का परिलाभ लेने में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन अब ऑनलाईन आवेदन करने पर कम्प्यूटर में उक्त नाम मिलान नहीं होने से परेशानी आ रही है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में हड़मानराम पुत्र रूपाराम के स्थान पर हनुमानराम पुत्र रूपाराम शुद्ध किये जाने के आदेश प्रदान करावे।



ASD  
04/9/2020  
सहायक कलेक्टर  
(एस.डी.ओ.) जायल

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तहसीलदार जायल को जरिये सम्मन तलब किया गया। जिन्होंने जरिये पत्रांक : भू.अ./2020/657 दिनांक 27.02.2020 के रिपोर्ट प्रस्तुत कर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड हड़मानराम पुत्र रूपाराम जाति मेघवाल निवासी मुण्डी तहसील जायल के स्थान पर हनुमानराम पुत्र रूपाराम जाति मेघवाल निवासी मुण्डी तहसील जायल शुद्ध किये जाने में सहमति व्यक्त की। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर एक्ट की सम्पुष्टि के परिपेक्ष्य में नकल जमाबंदी खाता संख्या 363/312, आधारकार्ड संख्या 7086 2097 3577, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी परिचय पत्र, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड संख्या, की फोटो प्रति पेश की। साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत की गई।

बहस वकील प्रार्थी की सुनी गई। दोराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान किया तथा ग्राम मुण्डी के खाता संख्या 363/312 में प्रार्थी नाम हड़मानराम के स्थान पर हनुमानराम शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात् ग्राम मुण्डी तहसील जायल की नकल जमाबंदी खाता संख्या 363/312 संख्या 2069-2072, में प्रार्थी का नाम हड़मानराम पुत्र रूपाराम जाति मेघवाल निवासी मुण्डी तहसील जायल दर्ज है जिसके स्थान पर हनुमानराम पुत्र रूपाराम जाति मेघवाल निवासी मुण्डी तहसील जायल शुद्ध किये जाने में तहसीलदार (अप्रार्थी) ने सहमति व्यक्त की है। इसी प्रकार आधारकार्ड संख्या 7086 2097 3577, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी परिचय पत्र, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड की फोटो प्रति से प्रार्थी हनुमानराम पुत्र रूपाराम व हड़मानराम पुत्र रूपाराम एक ही व्यक्ति के 2 नाम होने की सम्पुष्टि होती है तथा अन्त में अप्रार्थी पक्षकार तहसीलदार जायल की अभिशंषा रिपोर्ट के अवलोकन से प्रथम दृष्टयां यह साबित है कि प्रार्थी हड़मानराम व हनुमानराम दोनो एक ही व्यक्ति के दो नाम है जिसमें से प्रार्थी का वास्तविक नाम हनुमानराम पुत्र रूपाराम जाति मेघवाल निवासी मुण्डी तहसील जायल ही है।



04/9/2020  
सहायक कलेक्टर  
(एस.डी.ओ.) जायल

अतः प्रार्थी का नाम ग्राम मुण्डी तहसील जायल के जमाबंदी सम्वत् 2069-2072 खाता संख्या 363/312 में खातेदार हड़मानराम पुत्र रूपाराम कौम मेघवाल निवासी-मुण्डी तहसील जायल के स्थान पर हनुमानराम पुत्र रूपाराम कौम मेघवाल निवासी मुण्डी तहसील जायल दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है।

- :: आदेश :: -

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते हैं कि वे ग्राम मुण्डी तहसील जायल के खाता संख्या 363/312 में दर्ज खातेदार कृषक हड़मानराम पुत्र रूपाराम कौम मेघवाल निवासी-मुण्डी तहसील जायल के स्थान पर हनुमानराम पुत्र रूपाराम कौम मेघवाल निवासी-मुण्डी तहसील जायल शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 04/9/2020 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।



04/9/2020  
(रवीन्द्र कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलेक्टर, जायल